न्यायालय :– न्यायिक मजिस्ट्रेट, संगरिया जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– सोनाक्षी पाण्डेय, आर.जे.एस.
नियमित आपराधिक प्रकरण संख्याः– 144 / 2023(85 / 2023)
सीआईएस सं. 394 / 2023

गुरदयाल सिंह पुत्र श्री बुध सिंह निवासी वार्ड नं. 27 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राजस्थान) ––परिवादी

बनाम

हरिन्द्र कुमार पुत्र श्री विनोद कुमार निवासी सुन्दर नगरी गली नं. 06 द्वितीय चौक अबोहर तहसील फाजिल्का जिला फाजिल्का (पंजाब) ––अभियुक्त

अपराध अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम

उपस्थितिः–
श्री अनिल भोबिया, विद्वान अधिवक्ता– वास्ते परिवादी
श्री हरविन्द्र कुमार गर्ग, विद्वान अधिवक्ता– वास्ते अभियुक्त।

निर्णय **दिनांक :–02.06.2026**

1. हस्तगत प्रकरण माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय हनुमानगढ़ के आदेश क्रमांक स्था. / 2023 / 35 दिनांक 20.10.2023 के अनुसरण में न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संगरिया से अंतरित होकर दिनांक 28.11.2023 को इस न्यायालय में विचारण हेतु प्राप्त हुआ। जिसका एतद्द्वारा निस्तारण किया जा रहा है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि परिवादी व अभियुक्त के साथ घरेलू तौर पर आना जाना व आपसी व्यवहार रहा है। इस कारण अभियुक्त ने परिवादी से अपनी घरू आवश्यकता हेतु 5,00,000 / –रूपये (अखरे पांच लाख रूपये) ऋण स्वरूप नगद उधार लिये थे। परिवादी द्वारा अभियुक्त को उधार दी गई राशि बार बार वापिस मांगने पर अभियुक्त द्वारा उधार लिये गये इन रूपयों की अदायगी पेटे अपने खाता संख्या 3449002100042698 पंजाब नैशनल बैंक शाखा गौशाला रोड अबोहर (फिरोजपुर) (पंजाब) का चैक संख्या 419031 दिनांक 05.12.2022 राशि 5,00,000 / – रूपये (अखरे पांच लाख रूपये) का जारी कर परिवादी के सुपुर्द किया जो परिवादी ने सद्भावनापूर्वक स्वीकार कर लिया। अभियुक्त के निर्देशानुसार परिवादी द्वारा उक्त चैक भुगतान प्राप्ति हेतु अपने खाता धारक बैंक भारतीय स्टेट बैंक शाखा संगरिया में भुगतान प्राप्ति हेतु दिनांक 05.12.2022 को लगाया। जिसे परिवादी के खाता धारक बैंक ने चैक को भुगतान हेतु अभियुक्त के खाता धारक बैंक को भिजवाया जिसे अभियुक्त के खाता धारक बैंक पंजाब नैशनल बैंक शाखा अबोहर ने अभियुक्त का खाता Account Closed "खाता बन्द है" होने के कारण चैक अनादृत्त कर दिया। चैक अनादरण के पश्चात् परिवादी के बैंक ने अनादरण मीमो सहित सूचना दिनांक 06.12.2022 को परिवादी को देते हुए चैक व अनादरण मीमो वापिस लौटा दिया। परिवादी के पक्ष मे उक्त चैक जारी करते समय व भुगतान प्राप्ति हेतु निर्देश देते समय अभियुक्त यह अच्छी

तरह जानता था कि उसका खाता Account Closed " खाता बन्द है" फिर भी अभियुक्त ने दुर्राश्यपूर्ण आशय व भुगतान न करने की नियत से परिवादी के पक्ष में उक्त चैक जारी कर परिवादी को होने वाले भुगतान को विफल किया है। जबकि उक्त राशि विधि द्वारा परिवर्तनीय ऋण राशि होने के कारण परिवादी अभियुक्त से उक्त राशि प्राप्त करने का विधिक रूप से अधिकारी एवं दावेदार है तथा अभियुक्त पर उक्त राशि परिवादी को अदा करने का विधिक दायित्व है। अभियुक्त के उक्त कृत्य में उसकी दुर्भावना परिलिक्षित है। अभियुक्त द्वारा जारी उक्त चैक अनादृत होने से अभियुक्त ने प्राक्रम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 का अपराध कारित किया है। परिवादी ने अपने अधिवक्ता की मार्फत एक विधिक नोटिस अभियुक्त को दिनांक 12.12.2022 को उसके सही व पंजीकृत पता पर प्रेषित किया जो अभियुक्त को प्राप्त हो गया लेकिन नोटिस मिलने के उपरान्त भी अभियुक्त ने चैक में वर्णित राशि परिवादी को आज तक अदा नहीं की है। अभियुक्त का यह कृत्य धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। लिहाजा परिवाद परिवादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि अभियुक्त को धारा 138 प्राकम्य विलेख अधिनियम 1881 के तहत दण्डित किये जाने व परिवादी को चैक में वर्णित राशि की दुगुनी राशि दिलाये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें। जिस पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्व धारा 138 एन आई एक्ट का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया तथा अभियुक्त को तलब किया गया।

3. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त को धारा 138 एन.आई.एक्ट के तहत आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप से इंकार कर अंवीक्षा चाही गयी।

4. परिवादी साक्ष्य में पी.डब्लयू–1 गुरदयाल सिंह ने अपना शपथ पत्र पेश कर परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में असल चैक प्रदर्श पी 1, बैंक रिटर्न मीमो प्रदर्श पी 2, विधिक नोटिस प्रदर्श पी 3, डाक घर रसीद प्रदर्श पी 4 को प्रदर्शित करवाया गया।

5. अभियुक्त के बयान अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं. के तहत लिये गये। जिसमें अभियुक्त ने परिवादी के कथनों को गलत होना बताया और कथन किया कि वह गुरदयाल सिंह के माता का भगत होने का कारण उसे गुरदयाल सिंह पर पूरा विश्वास था और वह उसके पास आया जाया करता था। उसने कभी गुरदयाल सिंह से कोई राशि उधार नहीं ली और ना ही उसे कभी भी इतनी बडी राशि की आवश्यकता रही है। गुरदयाल सिंह के अधिवक्ता द्वारा उसे कभी कोई नोटिस प्रेषित नहीं किया। उसने गुरदयाल सिंह को कभी कोई चैक नहीं दिया। उसने अपना खाता वर्ष 2015 में ही बंद कर दिया था व चैक बैंक में जमा करवा दिये थे। गुरदयाल सिंह के पास उसका बैग कभी कभार छोड जाता था और उसने बेईमानी से उसके बैंग से चैक निकालकर उसका

दुरूपयोग करते हुये उसके द्वारा खाता बंद करवाने व चैक बुक जमा करवाने के पश्चात मनमानी राशि भरकर चैक अनादरित करवाया है तथा गुरदयाल सिंह की इतनी हैसियत नहीं हेथ क वो उसे पांच लाख रूपये उधार दे सके। गुरदयाल सिंह की मासिक आय 10–15 हजार रूपये है जिससे उसका गुजारा बडी मुश्किल से होता है। उसके चैक अनादरित होने का ज्ञान उसे माननीय न्यायालय द्वारा जारी नोटिस से ही हुआ है। गुरदयाल सिंह द्वारा विधिक नोटिस भिजवाने की रसीद प्रदर्श पी.4 प्रस्तुत की गयी है जो हरजिन्द्र कुमार के नाम से है। गुरदयाल सिंह ने अपने वकील के माध्यम से दिनांक 12.12.2022 को पंजीकृत डाक से नोटिस भिजवाया जाने के मिथ्या कथन किये है वह निर्दोष है, मुकदमा झूठा बनाया है। साक्ष्य सफाई पेश करना चाहा। साक्ष्य सफाई पेश नहीं करने पर साक्ष्य सफाई बंद की गयी।

6. उभय पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि

अभियुक्त ने परिवादी को अपनी विधिक ऋण की अदायगी पेटे चैक सं. 419031 दिनांकित 05.12.2022 राशि 5,00,000/– रूपये, बैंक पंजाब नेशनल बैंक शाखा गोशाला रोड अबोहर, फिरोजपुर, पंजाब का जारी करके दिया, जो परिवादी बैंक द्वारा भुगतान हेतु अपने बैंक में पेश किये जाने पर बैंक द्वारा Account Closed " खाता बन्द है" होने का कारण अंकित करते हुए उक्त चैक अनादरित कर लौटाया गया, जिस पर परिवादी ने उक्त रकम वसूली हेतु दिनांक 12.12.2022 को 15 दिवस का नोटिस भिजवाने पर भी निर्धारित समयावधि में अभियुक्त द्वारा चैक में वर्णित राशि की परिवादी बैंक को कोई अदायगी नहीं की गई?

यदि हां तो उचित दण्ड क्या होगा?

7. सर्वप्रथम पराक्रम्य लिखित अधिनियम के तहत उपबंधित की गई परिवाद प्रस्तुति के समयावधि के संबंध में पत्रावली का अवलोकन करें तो परिवादी द्वारा अपने परिवाद व शपथ पत्र में कथन किया गया है कि अभियुक्त ने घरू आवश्यकता हेतु 5,00,000/–रूपये उससे नगद उधार के रूप में लिये थे जिसके भुगतान पेटे विधि द्वारा परिवर्तनीय एक चैक सं. 419031 दिनांकित 05.12.2022 राशि 5,00,000/– रूपये, बैंक पंजाब नेशनल बैंक शाखा गोशाला रोड अबोहर, फिरोजपुर, पंजाब का जारी करके दिया, जिसे उसने स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया। उसने अभियुक्त द्वारा दिये गये विधि द्वारा परिवर्तनीय चैक संख्या 419031 को भुगतान प्राप्ति के लिये सक्षम बैंक में प्रस्तुत किया किन्तु अभियुक्त के खाता Account Closed " खाता बन्द है" होने का कारण अंकित करते चैक डिसऑनर/अनादरित हो गया तथा चैक अनादरण होने की सूचना प्राप्त होने के उपरांत उसने अभियुक्त को रजिस्टर्ड विधिक नोटिस दिनांक 12.12.2022 को चैक अनादरण की सूचना देते हुये चैक की राशि का भुगतान करने के संबंध में विधिक

नोटिस भेजा जो उसे प्राप्त हो गया। अभियुक्त यह अच्छी तरह से जानता था कि उसका खाता बंद है। फिर भी रूपये नहीं देने की नियत से परिवादी को चैक जारी किया है जो अनादरित हो गया। अतः अभियुक्त ने विधि द्वारा स्थापित कानून भारतीय प्राक्रम्य विलेख अधिनियम की धारा 138 के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया है। उसने अभियुक्त के पास चैक अनादरण की विधिवत् ईतला जरिये विधिक नोटिस द्वारा दिनांक 12.12.2022 को चैक राशि की मांग करते हुए भेजी। जो अभियुक्त को प्राप्त हो गई किन्तु नोटिस प्राप्ति के 15 दिन बाद भी अभियुक्त चैक राशि अदा करने में विफल रहा है। असल चैक प्रदर्श पी.1 जिसपर हरिन्द्र कुमार के हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी 2 रिटर्न मीमो, विधिक नोटिस प्रदर्श पी.3, डाक घर रसीद प्रदर्श पी.4 है।

8. इस प्रकार अभियुक्त द्वारा परिवादी के नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर राशि अदायगी की गयी हो तो भी यह परिलक्षित नहीं होता है। परिवादी द्वारा हस्तगत परिवाद पत्र दिनांक 12.01.2023 को वाद हेतुक उत्पन्न होने के एक माह के भीतर प्रस्तुत कर दिया गया । अतः परिवादी धारा 138 व 142 पराक्रम्य लिखित अधिनियम के आवश्यक तत्व जरिये दस्तावेजी साक्ष्य प्रमाणित करने में सफल रहा है।

9. इसके अतिरिक्त विवादित चैक पर हस्ताक्षर के संबंध में न्यायालय का विनम्र मत है कि परिवादी द्वारा सशपथ अपने बयानों में कथन किया है कि अभियुक्त द्वारा दिया गया चैक प्रदर्श पी.1 पर अभियुक्त के हस्ताक्षर है। उक्त तथ्य को खण्डन करते हुये अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया कि अभियुक्त द्वारा परिवादी से कभी भी ऋण स्वरूप कोई राशि नहीं ली गयी है। अभियुक्त को जब न्यायालय द्वारा धारा 313 सीआरपीसी के अंतर्गत परीक्षित किया गया तब अभियुक्त ने कथन किया कि वह गुरदयाल सिंह के माता का भगत होने का कारण उसे गुरदयाल सिंह पर पूरा विश्वास था और वह उसके पास आया जाया करता था। उसने कभी गुरदयाल सिंह से कोई राशि उधार नहीं ली और ना ही उसे कभी भी इतनी बडी राशि की आवश्यकता रही है। गुरदयाल सिंह के अधिवक्ता द्वारा उसे कभी कोई नोटिस प्रेषित नहीं किया। उसने गुरदयाल सिंह को कभी कोई चैक नहीं दिया। उसने अपना खाता वर्ष 2015 में ही बंद कर दिया था व चैक बैंक में जमा करवा दिये थे। गुरदयाल सिंह के पास उसका बैग कभी कभार छोड जाता था और उसने बेईमानी से उसके बैंग से चैक निकालकर उसका दुरूपयोग करते हुये उसके द्वारा खाता बंद करवाने व चैक बुक जमा करवाने के पश्चात मनमानी राशि भरकर चैक अनादरित करवाया है तथा गुरदयाल सिंह की इतनी हैसियत नहीं हेथ क वो उसे पांच लाख रूपये उधार दे सके। गुरदयाल सिंह की मासिक आय 10–15 हजार रूपये है जिससे उसका गुजारा बडी मुश्किल से होता है। उसके चैक अनादरित होने का ज्ञान उसे माननीय न्यायालय द्वारा जारी नोटिस से ही हुआ है। गुरदयाल सिंह द्वारा विधिक नोटिस भिजवाने की रसीद प्रदर्श पी.4 प्रस्तुत की गयी है

जो हरजिन्द्र कुमार के नाम से है। गुरदयाल सिंह ने अपने वकील के माध्यम से दिनांक 12.12.2022 को पंजीकृत डाक से नोटिस भिजवाया जाने के मिथ्या कथन किये है वह निर्दोष है, मुकदमा झूठा बनाया है।

10. अभियुक्त के उक्त कथन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त द्वारा विवादित चैक पर हस्ताक्षर होना स्वीकार किया गया है। अतः अभियुक्त द्वारा चैक पर स्वयं के हस्ताक्षर होने से स्पष्ट इंकारी नहीं की गई है। ऐसे में सभी तथ्यों को देखते हुये विवादित चैक पर अभियुक्त के हस्ताक्षर होना प्रमाणित है। ऐसे में जहां अभियुक्त के हस्ताक्षर होना प्रमाणित है वहां पराक्रम्य लिखित अधिनियम के तहत धारण के पक्ष में दो उपधारणाएं की गयी है जिसकी प्रथम उपधारणा धारा 118 प्रतिफल के संबंध में है तथा दूसरी उपधारणा धारा 139 विधिक दायित्व या ऋण उन्मोचन के संबंध में है।

11. क्या अभियुक्त द्वारा उक्त उपधारणा का खण्डन किया गया है?

12. इस संबंध में अभियुक्त को ऐसी प्रतिरक्षा प्रस्तुत करनी होगी जिससे कि न्यायालय प्रतिरक्षा के अस्तित्व को स्वीकार कर सके या अभियुक्त द्वारा बताये गये कथन इतने संभाव्य हों कि कोई भी सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति भी इस तथ्य के अस्तित्व को स्वीकार करे। यद्यपि संभावना की प्रधानता के आधार पर उक्त उपधारणा को खंडित किया जा सकता है परन्तु अभियुक्त को सुदृढ़ एवं विश्वसनीय साक्ष्य पेश करनी होगी, केवल कथन मात्र से उक्त उपधारणा खंड़ित नहीं मानी जा सकती।

13. इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णय **रंगप्पा बनाम श्री मोहन (2010) 2011 एससीसी 441** में यह निर्धारित किया गया है कि धारा 139 एनआई एक्ट की उपधारणा एक खण्ड़नीय है तथा इस उपधारणा को खण्ड़ित करने का भार अभियुक्त पर होता है। इस उपधारणा को खंडित करने से पूर्व परिवादी को सर्वप्रथम अपना मामला संदेह से परे साबित कर यह दर्शाना है कि उसके द्वारा दी गई रकम के बाबत् जारी किया गया चैक किसी विधिक दायित्व की अदायगी के पेटे ही दिया गया है। इसी संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक निर्णय **Basalingappa Vs Mudibassapa (2019) 5SCC 418** में यह मार्गदर्शन प्रदान किये गये हैं कि अभियुक्त धारा 139 एनआई एक्ट की उपधारणा का खण्डन परिवादी की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य में संदेह उत्पन्न करके भी कर सकता है। उसे स्वयं को बतौर साक्षी के रूप में परीक्षित करवाने की आवश्यकता नहीं है। धारा 139 एनआई एक्ट की उपधारणा का खंडन केवल संभावनाओं की प्रधानता के आधार पर हो सकता है।

14. अतः धारा 139 को खण्डित करने के लिये अभियुक्त के पास दो साधन है। पहला परिवादी से जिरह करें या दूसरा स्वयं की ओर से साक्ष्य सफाई पेश करे।

15. सर्वप्रथम यदि परिवादी की ओर से परीक्षित गवाह पी.ड.1 गुरदयाल सिंह के बयानों पर विचार किया जाये तो अपनी मुख्य परीक्षण में गवाह द्वारा परिवाद में वर्णित

तथ्यों की पुनरावृत्ति की गयी है तथा जिरह में यह कथन किया गया है कि हरिन्द्र कुमार को वर्ष 2009 से जानता है, हरिन्द्र कुमार अपनी परिवारिक परिस्थितियों के संबंध में उससे माता का भगत होने के कारण पूछने आते थे। हरिन्द्र कुमार ने उससे दो किश्तों में रूपये उधार लिये थे। हरिन्द्र कुमार ने ढाई ढाई लाख की दो किश्तों में रूपये उधार लिये थे। हरिन्द्र कुमार को पहली किश्त दिनांक 05.05.2013 को दी थी व दूसरी किश्त जून 2014 में उधार दी थी, तारीख उसे याद नहीं है। उसने नोटिस प्रदर्श पी 3 व परिवाद तैयार करवाने से पूर्व अपने अधिवक्ता को यह बता दिया था कि उसने हरिन्द्र कुमार को उक्त दिनांक व साल में दो किश्तों में रूपये उधार दिये थे। यह कहना सही है कि डाकघर रसीद प्रदर्श पी 4 हरजिन्द्र कुमार अबोहर के नाम से है। यह कहना गलत है कि हरिन्द्र कुमार ने चैक प्रदर्श पी 1 से संबंधित अपने बैंक खाता अपने समस्त चैक जमा करवा वर्ष 2015 में ही बन्द करवा दिया हो और वह वर्ष 2018 में चैक देने के मिथ्या कथन कर रहा हूं। उसे इस भक्ति के कार्य के चालीस पचास हजार महीने की आमदनी हो जाती होगी। वह आमदनी का कोई हिसाब किताब नहीं लिखता। वह अविवाहित है, गवाह ने खुद कहा कि रूपये उसकी माता के थे। उसकी माता को सरकारी पैसा मिला हुआ था। उसकी माता ने कुछ रूपये बैंक से निकाल कर दिए थे कुछ अपने पास से नकद दिये थे। यह कहना सही है कि उसने कोई बैंक स्टेटमेंट पेश नहीं की। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी 1 भरने के समय हरिन्द्र कुमार मौका पर मौजूद नहीं हो इसलिए उसने स्वेच्छा से प्रदर्श पी 1 में पांच लाख रूपये की राशि भरकर चैक को बैंक से अनादृत करवाया हो। यह कहना सही है कि उसके आशीर्वाद से हरिन्द्र कुमार कम्प्यूटर ऑपरेटर लग गया था और उसे अच्छी आमदनी होने लगी थी। यह कहना गलत है कि वर्ष 2018 से पहले हरिन्द्र कुमार उसके पास प्रतिमाह आता हो और अपनी इच्छानुसार उसे प्रतिमाह कभी दो हजार कभी चार हजार रूपये सेवा स्वरूप देकर जाता हो। उसने जो पांच लाख रूपये दो किश्तों में हरिन्द्र कुमार को उधार दिये थे उसकी लिखत उसने कहीं भी नहीं की। यह कहना सही है कि हरिन्द्र कुमार को न्यायालय का नोटिस मिलने के बाद ही न्यायालय में उपस्थित आया है। यह कहना गलत है कि हरिन्द्र कुमार को नोटिस प्रदर्श पी 3 कभी भी प्राप्त नहीं हुआ हो। यह कहना सही है कि पत्रावली पर अभियुक्त हरिन्द्र कुमार को विधिक नोटिस प्राप्त हुआ हो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर मौजूद नहीं है। यह कहना सही है कि हरिन्द्र कुमार को कोई विधिक नोटिस पंजीकृत डाक से ऐसी कोई डाक रसीद पत्रावली पर मौजूद नहीं है गवाह ने अज खुद कहा कि प्रदर्श पी 4 रसीद डाक घर, डाक घर की गलती की वजह से उसमें नाम हरजिन्द्र लिखा गया होगा।

16. इस प्रकार यदि अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा परिवादी से की गयी संपूर्ण जिरह का अवलोकन करें तो यह प्रकट होता है कि परिवादी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि

उधार दी गयी राशि उसकी माता के पैसे थे तथा उसकी माता को सरकारी पैसा मिला हुआ था तथा कुछ पैसे उसने बैंक से निकाल कर अभियुक्त को उधार दिये थे परंतु इस संबंध में परिवादी द्वारा बैंक से संबंधित कोई भी स्टेटमेंट पेश नहीं किया है, जो यह दर्शाता हो कि पैसे उसकी माता के बैंक से निकालकर अभियुक्त को दिये गये हो। इसके अतिरिक्त स्वयं परिवादी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि प्रदर्श पी.4 डाकघर रसीद हरजिन्द्र कुमार अबोहर के नाम से है तथा हरिन्द्र कुमार को पंजीकृत नोटिस भेजने की डाक रसीद पत्रावली पर मौजूद नहीं है। प्रदर्श पी.4 का अवलोकन करें तो उसमें भी हरजिन्द्र कुमार का नाम होना अंकित है। ऐसे में परिवादी यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि नोटिस प्रदर्श पी.3 अभियुक्त को प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त परिवादी ने यह भी स्वीकार किया है कि अभियुक्त को राशि उधार देने की कोई भी लिखित उसके द्वारा नहीं की गयी है।

17. अतः उक्त समग्र विवेचनानुसार न्यायालय के विनम्र मत में परिवादी के दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य में उत्पन हुये विरोधाभास के कारण परिवादी अपना मामला अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त हरिन्द्र कुमार को आरोपित अपराध में दोषमुक्त किये जाने योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

18. परिणामतः अभियुक्त हरिन्द्र कुमार पुत्र श्री विनोद कुमार निवासी सुन्दर नगरी गली नं. 06 द्वितीय चौक अबोहर तहसील फाजिल्का जिला फाजिल्का (पंजाब) को उनके विरुद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 138 पराक्राम्य लिखित अधिनियम के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

19. अपील की अपेक्षा के अध्याधीन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437(क) के अंतर्गत, अभियुक्त, माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने हेतु, राशि 10,000/— रूपये का व्यक्तिगत बंध—पत्र एंव इसी राशि की एक प्रतिभू, इस न्यायालय में पेश करें।

(सोनाक्षी पाण्डेय)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, संगरिया

20. निर्णय आज दिनांक **02.06.2026** को लिपिबद्ध करवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं मुद्रांकन विवृत्त न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(सोनाक्षी पाण्डेय)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, संगरिया

नोट— मूल (सही दस्तावेज) से मिलान किया गया।

RAMESH KUMAR
Digitally signed by RAMESH KUMAR
Date: 2026.06.03 12:56:08 +0530